

राजस्थान सरकार

राजरव (गुप्त-6) विभाग

फृणांक:— प० 6(7)राज/4/77/15

जायपुर, दिनांक 16.10.81

— आदेश —

इस विभाग के आदेश संख्या प० 6(7)राज/4/77/6 दिनांक 1.4.91 तथा उत्तराधिकारी प० 6(7)राज/गुप्त-4/77/12 दिनांक 1.4.91 के क्रम में सिवायक एवं गैर मुश्किल गुमियों पर 15.7.84 तक के किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के निर्देश जारी किये गये हैं। अब राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 15.7.84 को बढ़ाकर 15.7.94 तक दिया जाए। लालूगुसार उपरोक्त वर्णित परिपत्रों/आदेशों के परिपेक्ष्य में कार्यवाही करें।

०५८/११
(जी० एस० र०)
राजरव राजिना

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1— समस्त संभागीय आयुक्त ।
- 2— सागरस्त जिला कलेक्टर ।
- 3— निवन्धक, राजस्थ मण्डल, अजमेर ।
- 4— अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जायपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक 16.10.80/1 से प्रकाशनार्थ ।

शासन उपराजनी